भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1511

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति केंद्र

1511. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में स्थापित जल शक्ति केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) जल शक्ति केंद्रों के मुख्य उद्देश्य और उनके द्वारा जनता को प्रदान की जा रही सेवाएं क्या हैं;

(ग) उक्त केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त केंद्रों का उनके क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच का क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तमिलनाडु के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जेएसके स्थापित किए गए हैं, जिनमें अरनी निर्वाचन क्षेत्र के विलुप्पुरम और तिरुवन्नामलाई जिले भी शामिल हैं।

(ख): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, जो जल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जल-संबंधी मुद्दों पर व्यापक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रभावी जल-बचत तकनीकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जेएसके स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासन को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ सफल होती हैं।

(ग): जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इन केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। इनका संचालन मानव और बुनियादी ढांचे दोनों के संसाधनों को मिलाकर किया जाता है। हालांकि, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से क्रमशः पाली, यादगीर, ठाणे और पुणे को 5-5 लाख रुपये का एकमुश्त पायलट अनुदान जारी किया गया था।

(घ): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से हर जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों सहित एक व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई सलाह के अनुसार, जेएसके को संस्थागत संरचनाओं में स्थापित किया जाना अपेक्षित है ताकि वे जो जनता के लिए खुले तौर पर और आसानी से सुलभ हों, और 24x7 संचालित हों। आदर्श रूप से, ये केंद्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय या अन्य स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक हो। जिला प्रशासनों को केंद्रीय और अच्छी तरह से जुड़े स्थानों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के निवासी आसानी से केंद्रों तक पहुँच सकें।

(ङ.): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) गतिशील संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच में परिवर्तनकारी बदलाव लाते हैं। इसके अलावा, जेएसके जिले के भीतर सभी जल-संबंधी गतिविधियों के समन्वय में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)/कलेक्टरों की सहायता करते हैं। वे जल-संबंधी मुद्दों की योजना बनाने, तैयारी करने और उनका समाधान करने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्र के रूप में, जेएसके जल संरक्षण विधियों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और ग्रेवाटर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का प्रसार करते हैं। वे तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में भी काम करते हैं, और संबंधित मामलों पर स्थानीय समुदायों को सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

*****